अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

24 अकबर रोड नई दिल्ली–110011

मीडिया विभाग

पत्रकार वार्ता के मुख्य बिन्दु बुधवार 01 फरवरी, 2012 सायं–4.15

श्री मनीष तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित किया ।

श्री मनीष तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन राज्यों में चुनाव सम्पन्न हो गए हैं। और अब जनता और देश का ध्यान उत्तर प्रदेश और गोवा पर केंद्रित है। अभी तक प्राप्त रूझान और विश्लेषण जो पंजाब और उत्तराखण्ड के बारे में आए हैं, इस ओर साफ संकेत करता है कि इन दोनों प्रदेशों में जनता ने अपना मन बदलाव का बनाया है। जो लोगों का रूझान है वो इन दोनों प्रदेशों में जो सरकारें थीं उसके खिलाफ था और इस चीज का सीधा–सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को पंजाब और उत्तराखण्ड में अवश्य मिलेगा। मणिपुर में भी तमाम संवदेनशीलताओं के बावजूद यह हमारी उम्मीद है कि मणिपुर की जनता अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी को प्रगट करेगी।

भारत के उत्तर से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर–पूर्व से जो कांग्रेसमय हवाएं चल रही हैं उसका असर भारत के दिल, भारत के हृदय उत्तर प्रदेश में भी अवश्य पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में भी जो लोगों का मूड है वो बदलाव का बना रखा है। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता से केवल इतनी अपील है कि एक ऐसे विकल्प को आप मौका दीजिए जो आपकी इस बदलाव की भावना है। उसकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतर सकें।

एक प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या इस चुनाव में अन्ना टीम का भी कुछ असर पड़ेगा, श्री तिवारी ने कहा कि हरियाणा में जो उप–चुनाव हुआ था, उस उप–चुनाव में जो मुद्दे थे, वो भी स्थानीय थे। पंजाब, उत्तराखण्ड और मणिपुर में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी सारे मुद्दे लगभग स्थानीय रहे हैं पंजाब और उत्तराखण्ड में लोगों का रूझान, प्रदेश सरकारों के विरूद्ध था, उनकी जो पांच–साल की कारगुजारी रही है उससे संतुष्ट नहीं थे और यह साफ देखने को मिल रहा था। इसलिए कुल मिलाकर अगर किसी चीज का असर रहा है तो इन तीनों प्रदेशों को पंजाब और उत्तराखण्ड

सरकारों के खिलाफ एक जनाक्रोश था और मणिपुर के सन्दर्भ में जैसा मैंने पहले कहा कि तमाम संवेदनशीलताओं के बावजूद कांग्रेस ने मणिपुर में स्थाई सरकार दी है। और हमारी उम्मीद है कि इस बार फिर जनता अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी में व्यक्त करेंगे।

कल उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री पी. चिदंबरम के विषय में फैसला सुनवाए जाने पर भाजपा के मुरली मनोहर जोशी के वक्तव्य के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया पूछे जाने पर श्री तिवारी ने कहा कि सदा से भाजपा गैरजिम्मेदाराना तरीके से वक्तव्य देते रहते हैं और न्यायालय के निर्णय देने से पहले ही अपने निर्णय सुनाते रहते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय ने किसी याचिका पर अपना निर्णय देना है तो हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक रहने थे, श्री तिवारी ने कहा कि यह भाजपा का अन्दरूनी मामला है कि कौन कहां प्रचार करेगा या नहीं करेगा। हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन प्रचार करेगा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कि क्या नरेंद्र मोदी का यूपी चुनाव प्रचार में न रहने से क्या कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा, श्री तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों और प्रोग्राम के आधार पर चुनाव मैदान में उतरती है। हम जनता के समक्ष मुद्दे लेकर जाते हैं। विपक्ष के नेताओं की उपस्थिती या अनुपस्थिती से कोई फर्क नहीं पड़ता।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कि क्या जो कल उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है उसका असर क्या प्रधानमंत्री की कार्य शैली पर पड़ता है, श्री तिवारी ने कहा कि आप सभी को उच्चतम न्यायालय के आदेश का अध्ययन करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री का इसमें कोई भूमिका नहीं रही है हमें इसके अतिरिक्त इस विषय में कुछ नहीं कहना है।

एक अन्य प्रश्न पूछे जाने पर कि पिछले पंजाब के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी ने भूमिका निभाई थी परंतु अबकी ऐसा नहीं है, श्री तिवारी ने कहा कि भाजपा किसको चुनाव–प्रचार में भेजना चाहती है, यह उनका अपना मामला है, यह आप उनसे पूछिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों के ऊपर,

अपने किए हुए काम के आधार पर जो हमने वायदे किए हैं अपने घोषणा–पत्र में, उनको सामने रखकर लोगों के बीच में जाती है। अब कोई विपक्षी नेता मैदान में आए या ना आए, उससे हम को कोई फर्क नहीं पड़ता।

नरेंद्र मोदी द्वारा यह कहा जाना कि जितना सरकार उनके विरूद्ध प्रचार करती है उतना ही गुजरात की जनता उसको चाहती है, श्री तिवारी ने कहा कि अगर गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाना चाहें या अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहें तो यह उनकी इच्छा। पर सवाल यह है कि 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो नानावटी आयोग की अभिदेषण की शर्तों को खुद बदला था और उसमें उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की गुजरात के दंगों के दौरान जो गुजरात सरकार की कारगुजारी रही है, उसको भी उसमें शामिल किया था। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री या उनकी सरकार का दामन साफ है तो वो खुद नानावटी आयोग के सामने क्यों नहीं चले जाते। किसी गैर–सरकारी संगठन को या कोई व्यक्ति जिसे उन दंगों के दौरान चोट पहुंची है, उसको अर्जी दाखिल करने की क्या जरूरत है। इसलिए पिछले दस वर्षों में गुजरात सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा है और इस चीज को हम निरन्तर और लगातार उजागर करते रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी पीठ थपथपाना चाहे, तो जनता फैसला करेगी कि कितना उसको मानती है या नहीं मानती है।

यूपी चुनाव के घोषणा–पत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा दूसरा राज्य पुर्नगठन आयोग की बात करने पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री तिवारी ने कहा कि चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो या किसी और की प्रदेश की जनता हो, उनकी आस्था कांग्रेस पार्टी में है। ऐसा नहीं है कि चुनाव घोषणा–पत्र में किए हुए वायदों को हम हल्के से लेते हैं। कभी–कभी परिस्थितियां जरूर उत्पन्न होती हैं जिन चुनौतियों से निपटना पड़ता है, पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो वायदा किया है, उस वायदे को हम अवश्य पूरा करेंगे, उसको कार्यन्वित करेंगे और उस पर फूल चढ़ाएंगे।

कल शीला दीक्षित द्वारा यह कहा जाना कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है, इस पर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री तिवारी ने कहा कि वे कोई समान्तर नहीं खींचना चाहते। श्री मनीष तिवारी ने कहा कि नाजियों ने भी आटो बार बनाई थी, परंतु उन्होंने क्या किया। भाजपा पूर्णतः गुजरात में क्या दिखाना या बताना चाहती है। क्या वहां के नरसंहार को वे भूल गए हैं। परंतु

इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर कोई व्यंग्य रचना नहीं समझ पाया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।

पश्चिम बंगाल में यूनियनों को हड़ताल करने का अधिकार वापिस देने पर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री तिवारी ने कहा कि कुछ हक संवैधानिक हैं और संवैधानिक हकों को लेकर किसी प्रकार के फैसले किए जाते हैं तो उसके लिए हर उन संगठनों को अधिकार है कि उसको अदालत में चुनौती दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार किस संदर्भ में या किस परिपेक्ष्य में फैसला करने जा रही है उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। पर, हां, भारत का संविधान अवश्य हर व्यक्ति को यह अनुमति देता है कि वो संगठित होकर अपने हक मांग सकता है।

श्री सलमान खुर्शीद द्वारा यह कहा जाना कि यूपी में अल्पसंख्यकों के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा परन्तु चुनावी घोषणा–पत्र में तो 4.5 प्रतिशत आरक्षण कहा गया है, श्री तिवारी ने कहा कि भारत के कानून मंत्री उत्तर प्रदेश से खुद सांसद हैं और सांसद एवं मंत्री होने के नाते कई मुद्दों के ऊपर अपना विचार हो सकता है पर जब उन सारे विचारों को संगठित करके उनका निचोड़ निकाल कर घोषणा–पत्र के रूप में पेश किया जाता है तो वो पार्टी की अधिकृत राय होती है और उस प्रदेश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता होती है। इन दोनों चीजों में कोई विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र के माध्यम से जो अपना अधिकृत वक्तव्य है वो उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष रखा है।

तमिलनाडु में मछुवारों के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री तिवारी ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस विषय में उचित कार्रवाई करेगा। इस विषय में खुद विदेश मंत्री ही जानकारी दे पाएंगे और उचित रहेगा अगर यह प्रश्न उनसे किया जाए।

हस्त/–
(टॉम वडक्कन)
मीडिया सचिव